

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग

नई दिल्ली-1, दिनांक 24 जुलाई 2017

कार्यालय जापन

विषय:- हिंदी, हिंदी टाइपिंग और हिंदी आशुलिपि की परीक्षाएं पास करने पर प्रोत्साहन-वैयक्तिक वेतन संबंधी आदेशों की समेकित किया जाना ।

उपरोक्त विषय पर राजभाषा विभाग के दिनांक 02 सितंबर 1976 के कार्यालय जापन संख्या 12014/2/76-राभा (घ) के पैरा 1(5) (क)(ख) के मौजूदा प्रावधानों को तत्काल प्रभाव से निम्न प्रकार संशोधित किया जाता है:-

(क) हिंदी शिक्षण योजना के तहत आयोजित होने वाली हिंदी आशुलिपि की परीक्षा में अराजपत्रित कर्मचारियों को वैयक्तिक वेतन पाने के लिए 70% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा ।

(ख) हिंदी शिक्षण योजना के तहत आयोजित होने वाली हिंदी आशुलिपि की परीक्षा में राजपत्रित आशुलिपिकों को वैयक्तिक वेतन पाने के लिए 75% या अधिक अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा ।

लेकिन जिन कर्मचारियों ने पहले ही आशुलिपि की परीक्षा पास की है अथवा जिसके लिए हिंदी आशुलिपि का प्रशिक्षण अनिवार्य नहीं है, उन्हें हिंदी आशुलिपि की परीक्षा पास करने पर वैयक्तिक वेतन नहीं दिया जाएगा ।

2. राजभाषा विभाग के कार्यालय जापन दिनांक 02 सितंबर 1976 की अन्य शर्तें यथावत रहेंगी ।

3. यह कार्यालय जापन सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी से जारी किया जाता है ।


(विजय कुमार)

उप सचिव, भारत सरकार

प्रतिलिपि:-

1. केंद्रीय सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।
2. राष्ट्रपति सचिवालय ।
3. उप राष्ट्रपति सचिवालय,
4. प्रधानमंत्री कार्यालय ।
5. मंत्रीमंडल सचिवालय
6. भारत का निर्वाचन आयोग ।
7. लोकसभा/राज्यसभा सचिवालय
8. संघ लोक सेवा आयोग ।
9. केंद्रीय सतर्कता आयोग ।
10. भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ।
11. गृह मंत्रालय (मुख्यालय)/न्याय विभाग/जम्मू एवं कश्मीर कार्य विभाग तथा राजभाषा विभाग के सभी अधिकारी/डेस्क/अनुभाग ।
12. गृह मंत्रालय के सभी काडर यूनिट ।
13. निदेशक (नीति/तकनीकी/कार्यान्वयन), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय ।
14. निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली ।
15. निदेशक, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, नई दिल्ली ।
- ✓ 16. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी. राजभाषा विभाग ।
17. गार्ड फाइल।
18. अतिरिक्त प्रतियां 25


(विजय कुमार)
उप सचिव, भारत सरकार